कार्यालय, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।

दिनांक 16.09.2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 02 राजकीय वाहन होंडा सिटी संख्या यू0पी0 70 ए.जी.–0602 एवं यू0पी0 70 ए.जी.–0618 मैक मॉडल होंडा सिटी कार, पंजीयन वर्ष 2009, जो पैट्रोल चलित है। न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद मे खडी है, का नीलामी दिनांक 30.09.2021 दिन सोमवार को अपरान्ह 04.00 बजे न्यायालय परिसर के सैन्ट्रल हॉल भूतल में किया जायेगा। नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार हैं :–

1. जो सज्जन बोली बोलना चाहेगा उसे अंकन 10,000/– रूपये का नकद प्रतिभूत के रूप मे जमा करना होगा।
2. न्यूनतम बोली नीलामी हेतु गठित की गयी समिति द्वारा उसी समय निश्चित की जायेगी। नीलाम के इच्छुक व्यक्ति को उससे उपर बोली बोलनी होगी।
3. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि बोली स्थल पर ही नगद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि बोली का माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त जमा करनी होगी।
4. यदि उच्चतम बोलीदाता अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमा नही करता है तो उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप मे जमा की गयी धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा उससे कम बोली बोलने वाले को अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि जमा करनी होगी।
5. समस्त धनराशि जमा होने एंव नीलाम स्वीकृत होने पर ही वाहन की डिलीवरी दी जायेगी।
6. वाहन का निरीक्षण नवीन न्यायालय परिसर मे किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। वाहन जैसा है, जहॉ है, वैसा ही, नीलाम किया जायेगा। यदि कोई सज्जन कोई अन्य जानकारी जानना चाहता है तो वह किसी भी कार्य दिवस मे प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकता है।
7. नीलाम केता को नीलामी संबधी समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।
8. नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये स्वीकृत बोली/ बोलियों को निरस्त कर सकती है।

Yadav 16.09.2021

(अरविन्द कुमार यादव-I)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-01, गाजियाबाद।
कोर्ट सं0–1, गाजियाबाद

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि वह इस नीलामी सूचना का प्रचार कराने की दृष्टि से इसे अपने कार्यालय के सूचना पटट् पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।
2. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, गाजियाबाद।
5. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।